

## उत्तराखण्ड का दिवाली उपहार

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड ने दिवाली लाभ के रूप में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये **महँगाई भत्ते (Dearness Allowance- DA)** में वृद्धि की घोषणा की।

### प्रमुख बढि

- **महँगाई भत्ते में बढोतरी:**
  - उत्तराखण्ड ने घरेलू खर्चों पर महँगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिये महँगाई भत्ते में एक नश्चिती प्रतशित की वृद्धि की।
  - महँगाई भत्ता **50% से बढाकर 53% प्रतमिह** कर दिया गया है।
  - महँगाई भत्ते में वृद्धि सभी नियमति और पूरणकालकि राज्य कर्मचारियों एवं **UGC** से संबद्ध अधिकारियों पर **1 जुलाई 2024** से लागू होगी, जसिमें जुलाई से **सतिंबर 2024** तक का बकाया नकद देय होगा।
  - राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कवर करते हुए बढा हुआ महँगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
- **आर्थकि प्रभाव:**
  - यह वृद्धि कर्मचारियों की करय शक्ति को बढावा देती है, जो वशिष रूप से तयौहारी सीजन के दौरान अधकि महत्त्वपूर्ण होती है, जब व्यय आमतौर पर अधकि होता है।
  - इसी प्रकार के महँगाई भत्ते के समायोजन वभिनिन राज्यों में देखे जा रहे हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य बढती जीवन-यापन लागत के बीच वतितीय राहत प्रदान करना है।

### महँगाई भत्ता (DA)

- यह महँगाई को संतुलति करने के लिये जीवन-यापन की लागत का समायोजन है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतशित के रूप में की जाती है।